

वादीगण को वादग्रस्त आराजगीयात में खारिजाई अधिकार प्राप्त हो गये थे लेकिन तहसीलदार सागवाडा उपखण्ड वादग्रस्त आराजगीयात पर कब्जा होकर काबल करते आने से धारा 19 राजस्व 2012 के तहत राजस्वगत टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने की तारीख 22/9/56 संवत् 2012 में वादीगण बहुसंख्यक काबलकार उपखण्ड थे किन्तु आकरजगीयात खारिजाई पडवाने की गजब से विकय पत्र संपादित करया था अन्य का उक्त आराजगीयात पर संवत् 2004 के पूर्व से ही कब्जा था, वादीगण के पिता एवं अन्य विकय पत्र में 14 खत बतया है जिनमें वादग्रस्त में वर्णित खत भी सम्मिलित है। वादीगण के पिता एवं 2004 को संपादित कर गवाहन गीवनजी एवं डेकड़े के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर विकय कर दिये है। के पिता नानजी तथा जगजी प्रेमजी, जगजी को कपया 1021/- में विकय कर सादा विकय पत्र संवत् यह कि प्रतिवादी के पिता स्व० रतनलालजी एवं अन्य ने इनके खारिजाई की समस्त आराजगीयात वादीगण डेसमें वादीगण की अन्य आराजगीयात भी स्थित है।

कब्जा होकर काबल करते आ रहे है। यह आराजगीयात कृष्णाशिया हेमर के नाम से प्रसिद्ध है तथा का कमी भी कब्जा काबल नहीं रहा है। आराजगीयात पर वादीगण एवं वादीगण के पिता नानजी ही 4 बिस्वा प्रतिवादी के खारिजाई के लीकिन प्रतिवादी का उक्त आराजगीयात का मात्र खारिजाई है, प्रतिवादी वर्णित आराजगीयात मौजा सरदा खाला संख्या 504 पुराना 497/496 किता खत 7 कुल रकबा 6 बीघा वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में

निर्णय

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्व 2012

वकील प्रतिवादीगण - श्री सुन्दरलाल मण्डारी
 वकील वादी - श्री शंकरसिंह सोलंकी

(प्रतिवादीगण)

2- श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

सागवाडा

- 1/7- श्रीमती शोमना द्विवेदी पिता स्व० मूलशंकरजी निवासी सरदा तहसील
- 1/6- श्रीमती जगदी जीश्री पिता स्व० मूलशंकरजी
- 1/5- श्री द्विवेदी पिता स्व० मूलशंकरजी
- 1/4- श्री अजीत पिता स्व० मूल शंकरजी
- 1/3- श्री कृष्णाकान्त पिता स्व० मूलशंकरजी
- 1/2- श्री सुभाषचन्द्र पिता स्व० मूलशंकरजी
- 1/1- श्री उषा पिता स्व० मूलशंकर जी
- 1- श्री मूलशंकर पिता रतनलाल मटमवाडा ब्राह्मण निवासी खडगदा के कायम मुकाम -

बनाम

(वादीगण)

- 6- श्री बादर पिता नानजी पटेल निवासी सरदा तहसील सागवाडा
- 5- श्री राजेंद्र पिता नानजी पटेल
- 4- श्री दीरालाल पिता कमी पटेल
- 3- श्री मगवान पिता नार्य पटेल
- 2- श्री अमरजी पिता नार्य पटेल
- 1- श्री बालजी पिता नार्य पटेल निवासी सरदा

अनवान

प्रकरण संख्या:- 13/2008 राजस्व वाद
 दायर दिनांक- 18.3.2009
 फसल दिनांक-

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री गीपाललाल स्वर्णकार आर०ए०ए०एस०, उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला ईरारपुर

तनकी संख्या 6:- दायरगी ?
 उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई ।
 वादी ने अपनी साक्ष्य में गवाह बाटूर पिता नानजी, बालजी पिता नारूप पटेल, के बयान बंधन पर प्रस्तुत कर साक्ष्य वादी समाप्त किए जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई । प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में प्रतिवादी स्वयं श्री मूलशंकर के बयान का बंधन पर प्रस्तुत किया गया ।
 दिनांक 3/11/2015 को प्रतिवादी एवं उनके वकील अर्जुनसिंह तनकी से एक तरफ का पूर्ववर्ती के आदेश दिए जाकर वकील वादी को एक पक्षीय बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया । वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई । बहस में वाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादी को साक्ष्य के आधार पर वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के उपकर्षक प्रमाणित होने, वादीगण के नाम खसरा बंदोबस्त में उपकर्षक की हैसियत से दर्ज होने, वर्तमान में आराजीयात पर काल होकर काइल करने से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होने एवं वादीगण का वाद हिकी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

तनकी संख्या 3 :- आया वादपत्र की कलम नं० 1 में वर्णित आराजीयात का संवत् 2004 में दर्तावेज विय किये गये जा पीजबद्ध होकर विधिसम्मत है ?

तनकी संख्या 4:- आया वादीगण आरटीए की धारा 19 के तहत भूमि खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ?

तनकी संख्या 5:- आया विवाहित आराजीयात का पूर्व में कोई वाद दापर होकर निर्णित हुआ है ?

तनकी संख्या 1:- आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होकर काइल करते आ रहे हैं ?

तनकी संख्या 2:- आया वादग्रस्त आराजीयात के पास वादीगण के खेत होने से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का ही हक है ?

तनकी संख्या 3:- आया वादपत्र की कलम नं० 1 में वर्णित आराजीयात का संवत् 2004 में दर्तावेज विय किये गये जा पीजबद्ध होकर विधिसम्मत है ?

तनकी संख्या 4:- आया वादीगण आरटीए की धारा 19 के तहत भूमि खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ?

तनकी संख्या 5:- आया विवाहित आराजीयात का पूर्व में कोई वाद दापर होकर निर्णित हुआ है ?

नामान्तरकरण नहीं किए जाने से आराजी प्रतिवादी के खाते ही दर्ज है । अतः वादीगण कार्जुनन हक एवं अधिकारों से आज भी आराजीयात खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादीगण को वाद से वाद के समर्थन में बंधन पर एवं दर्तावेज जमाबन्दी गम सरीदा खतीनी संख्या 504 संवत् 2057-60, ख० रतनलाल व अन्य द्वारा संपादित विय पत्र, पुनर्नात्मक गम सरीदा, खसरा निरदारी संवत् 2008, 13, 14, संवत् 2028 से 31, 2032 से 2035 प्रस्तुत किए गए हैं ।
 वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए । दिनांक 28-7-2006 को प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील वादी को दी गई । प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब में प्रतिवादी खातेदार काइल होने एवं प्रतिवादी द्वारा काइल करना बताते हुए वादीगण जबरन काइल करने की कोशिश में होने से प्रतिवादी की ओर से पूर्व में ख्याई निषयाज्ञा का दावा नारूप पिता नानजी वीर का विकुद्ध किया था जिसका वाद संख्या 7/2000 निर्णय दिनांक 17/11/2000 है, उस समय इन वादीगणों द्वारा कब्जे का प्रयास नहीं किया था इसलिए इनके विकुद्ध दावा नहीं किया था । वादी संख्या 5 व 6 को पाबन्द किया था जिन्होंने निर्णय की जानकारी होते हुए भी इस वाद में वादी बने हैं कि सी भी वादीगण तथा नानजी का कब्जा नहीं है । वादीगण के आराजीयात पक्षों में होने से इनका कोई अधिकार नहीं बनता है । प्रतिवादी के पिता द्वारा कोई विय पत्र संपादित नहीं किया गया है, वादीगण न तो उपकर्षक हैं और नहीं के गणना है । राजस्थान टिनेसी एक्ट दिनांक 22/9/1956 को प्रभाव में नहीं आया न ही वादीगण उपकर्षक हैं धारा 19 का नाम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है जिससे खाते दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है । प्रतिवादी स्वयं आकर काइल करता है वादीगण ख्याई निषयाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है ।

उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत (पत्र)



इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समावाहक के प्रकरण संख्या 7/2000 दारा बाबत स्याई निषेधाज्ञा अनवान मूलशंकर पिता रतनलाल निवासी खडगादा बनारस न्याय पिटल नानजी पटेल वगैरा सरदा के निर्णय दिनांक 17.11.2000 की प्रति में भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्याई निषेधाज्ञा के आदेश हैं। इस निर्णय में भी वादग्रस्त भूमि वर्तमान वाद के अन्तर्गत ही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजीयात का पूर्व में वाद दायर होकर निर्णित हुआ है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5:- आया विवादित आराजीयात का पूर्व में कोई वाद दायर होकर निर्णित हुआ है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। तनकी संख्या 1 से 3 के विवेचन से वादीगण वादग्रस्त भूमि को खाते दर्ज कराने के अधिकारी नहीं माना गया है अतः यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:- आया वादीगण आरटीए की धारा 19 के तहत भूमि खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है। वादीगण द्वारा विषय पर 2008 कमाण वदी 5 का प्रस्तुत कर प्रतिवादी से वादग्रस्त आराजीयात कय करने का उल्लेख करते हुए स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि यह पंजीकृत दर्स्तावेज नहीं है किन्तु कब्जे काश्त से इसे पढ़ा जा सकता है। कब्जे काश्त के सम्बन्ध में विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है। प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब में यह बताया है कि प्रतिवादी अथवा उसके पिता द्वारा किसी प्रकार का विषय पत्र संपादित नहीं किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत विषय का दर्स्तावेज पंजीकृत नहीं है। विषय का दर्स्तावेज पंजीकृत नहीं होने से वादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात कय किए जाने का ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

विषय किया गया जो पंजीकृत होकर विधिसम्मत है ? (वादी)

तनकी संख्या 3 :- आया वादपत्र की कलम नं० 1 में वर्णित आराजीयात का संवत् 2004 में दर्स्तावेज

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है। वादी द्वारा वाद पत्र बयानात में वाद ग्रस्त आराजीयात के पास उनके खेत होने से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का हक होना बताया है। वादी का उक्त कथन सत्या मात होकर नियमों के विपरित है कि किसी के खेत के पास में खेत होने से उसका हक होता है। अतः यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

पर वादीगण का ही हक है ? (वादी)

तनकी संख्या 2:- आया वादग्रस्त आराजीयात के पास वादीगण के खेत होने से वादग्रस्त आराजीयात जाती है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है। वादी की ओर से प्रस्तुत दर्स्तावेजी साक्ष्य खसरा निरदावरी प्रदर्श 1 से 18 का उल्लेख करते हुए बहस में कब्जे एवं काश्त की पुष्टि होना बताया है। हमने उल्लेखित खसरा निरदावरी का अवलोकन किया, वादीगण का कब्जा काश्त अधिकृत है लेकिन मात्र इस प्रमाण से किसी अन्य खातेदार की भूमि को खाते दर्ज कराने के अधिकारी नहीं हो सकते। वर्तमान में खाला प्रतिवादी का है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1:- आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होकर काश्त करते आ रहे हैं ?

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :-

(सं. १००) १०/१०/१०

उपस्थित अधिकारी

समावादा

उपस्थित अधिकारी

(सं. १००) १०/१०/१०



कैसल शिमरा हो, नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक को खूबे न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली

का खरीज किया जाता है । इसकी पूर्वा जारी हो । बाद व्यय पक्षकारान अपना अपना करें ।

निर्णय होने से बाद वादी बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा ८८, १८८ राजनिर्देशों के तहत

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या १ से ६ वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में

कराने के अधिकारी नहीं है ।

उपरोक्त तनकीवाइज विवेचन व निर्णयानुसार वादी वादग्रस्त भूमि को खाले रहने

तनकी संख्या ६-१-१०० ?